2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 28/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.03.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह पता ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.12.18 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी महोदय लूणी के कार्यालय में 01.04.2018 से जागीरदारी प्रथा (1947) की आज भी है तो भारत सरकार /राज्य सरकार के परिपत्र की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रति व अन्य बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 202 दिनांक 07.02.19 रिपोर्ठ प्राप्त हुई कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर उपखण्ड अधिकारी लूणी कार्यालय से संबंधित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 1935 दिनांक 13.12.18 द्वारा स्थानान्तरित कर प्रार्थी को भी सूचित किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) द्वारा मूल प्रार्थना–पत्र में वर्णित सूचना देने के लिए विधिक प्रकिया के तहत स्थानान्तरित कर दिया गया तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	